

जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1595 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोट मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार-चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडो से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) श्री राजेश ठाकुरिया के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 9.3.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बून्दी (रि0 सोयाबीन तेल से बने) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./459/एक्ट/2017/526 दिनांक 3.4.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बून्दी (रि0 सोयाबीन तेल से बने) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बून्दी (रि0 सोयाबीन तेल से बने) का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है परन्तु जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें सैम्पल को किस आधार पर सबस्टैण्डर्ड माना है यह नहीं बताया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बून्दी (रि0 सोयाबीन तेल से बने) को कई चीजो को मिलाकर बनाया जाता है। इसलिये उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./459/एक्ट/2017/526 दिनांक 3.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बून्दी (रि0 सोयाबीन तेल से बने) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम



प्र0सं0 : 48 / 2017 एफ एस एस एक्ट

2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लड्डू बून्दी (रि० सोयाबीन तेल से बने) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री राजेश ठाकुरिया पुत्र श्री द्वारका प्रसाद ठाकुरिया एफबीओ मैसर्स-खण्डेलवाल स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई दौसा पर 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 4.7.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



कमांक / 10084-86

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजेश ठाकुरिया पुत्र श्री द्वारका प्रसाद ठाकुरिया एफबीओ मैसर्स-खण्डेलवाल स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
आय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांक:- 06.7.2018

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा